न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः–2024/149 दर्ज तिथिः–05.07.2024

1. गणपतलाल पुत्र राजुराम
2. बीरबल पुत्र राजुराम
3. कलिया देवी पत्नी राजुराम
4. देरामाराम पुत्र मोबताराम

जाति विश्नोई निवासी रामदेवनगर पटवार हल्का राणासर कला तहसील धोरीमन्ना

......................प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार धोरीमन्ना

.........................असल विप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री हापूराम
अप्रार्थीगणः–पैरोकार सरकार

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–14.02.2025

प्रार्थना–पत्र

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा –131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के नाम से खातेदारी आराजीयात खसरा संख्या 231/1/1.4973 है0 वाके ग्राम रामदेव नगर पटवार हल्का राणासर कला तहसील धोरीमन्ना में अंकित है। तहसीलदार धोरीमन्ना के नामान्तकरण संख्या 28 दिनांक 20.03.2012 को तहसील खसरा संख्या 231 के बेचान अनुसार तीन भागों में विभाजित हुआ जिसमें प्रार्थीगण के हिस्से खसरा संख्या 231/1/1.4973 है, तथा अन्य खातेदार के हिस्से खसरा संख्या 231/14/1.2950 है0 तथा 231/14/1.2950 है0 की नामान्तकरण संख्या 28 की पुश्त पर अंकित तरमीम तथा ग्राम राणासर कला के नामान्तकरण संख्या 140 आवंटन की पुश्त पर अंकित तरमीम से भिन्न है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तरमीम दुरस्त किया जाना न्यायसंगत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 13:58:57 IST
Reason: SelfAttested

जवाब

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्राथीगण जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना से मौके की वर्तमान तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना के पत्रांक 387 दिनांक 14.02.2025 के द्वारा बिन्दुवार मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट मय नजरी नक्शा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार धोरीमन्ना ने अपनी जांच रिपोर्ट व विगतवार जबाव में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मौके पर प्रार्थी के खसरा संख्या 231/1 व अन्य अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 231/13 व 231/14 की तरमीम आवंटन आदेश व नामान्तकरण संख्या 140 की पुश्त पर अंकित अनुसार नहीं की गई है तथा वर्तमान तरमीम को परिशिष्ट ब के अनुसार संशोधन करने हेतु कथन किया है।

जिरह

3. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा अंतिम बहस की गई। विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान की जिरह सुनी गई। जो कि संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैः—

प्रार्थी	अप्रार्थी
प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा—131 136 पर बहस	
1. प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विप्रार्थी तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा बनाई गई वर्तमान मौका रिपोर्ट में पेश नजरिये नक्शा परिशिष्ट ब के अनुसार खसरा संख्या 231/1, 231/13 व 231/14 की तरमीम दुरस्त करने से वास्तविक कब्जे के अनुसार तरमीम हो जाने से मौके पर कोई विवाद नहीं रहेगा तथा खसरों के क्षेत्रफल भी यथावत रहेंगे इसलिए परिशिष्ट ब' अनुसार तरमीम दुरस्त कर इसी अनुसार नक्शा ट्रैस व ऑनलाईन नक्शे में दुरस्ती का इन्द्राज किया जाने का आदेश फरमावें का निवेदन पेश किया।	1. पैरोकार सरकार ने मौका रिपोर्ट में तरमीम दुरस्त करने में अनापती जाहिर करते हुए परिशिष्ट 'ब' के अनुसार तरमीम दुरस्ती किया जाना उचित होने का कथन किया है।

5. उक्त प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में यह निर्विवाद तथ्य है कि मौके पर त[illegible] टिपूर्ण है तथा विप्रार्थी के रिपोर्ट में संलगन नक्शा परिशिष्ट 'ब' के अनुसार तरमीम दुरस्ती हेतु दोनो पक्ष सहमत है तथा उसी अनुसार तरमीम पुनः दुरस्त करने का नि[illegible] किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 13:58:57 IST
Reason: SelfAttested

गणपतलाल बनाम तहसीलदार धोरीमन्ना
2024 / 149
निर्णय दिनांकः—14.02.2025

निष्कर्ष

6. इस प्रकार प्रकरण में **सर्वप्रथम** प्रार्थी के खसरा संख्या 231 / 1 / 1.4973 है, तथा अन्य अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 231 / 13 / 1.2950 है0 तथा 231 / 14 / 1.2950 है0 वाके ग्राम रामदेव नगर पटवार हल्का राणासर कला की तरमीम तहसीलदार धोरीमन्ना की रिपोर्ट दिनांक 14.02.2025 अनुसार के साथ संलग्न नजरी नक्शा 'परिशिष्ट—'ब' के अनुसार तरमीम दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बिन्दु संख्या 06 के निर्देशों के साथ स्वीकार किया जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि मौका रिपोर्ट में संलग्न नजरी नक्शा 'परिशिष्ट—ब' के अनुसार तरमीम दुरूस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार धोरीमन्ना की मौका रिपोर्ट दिनांक 13.02.2025 व नजरी नक्शा 'परिशिष्ट 'ब' निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 14.02.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(भागीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना—बाड़मेर

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 13:58:57 IST
Reason: SelfAttested